

वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति (धर्मदान देखभाल/शिशु देखभाल/मेडिकेड) - सादी भाषा में सारांश

HackensackUMC at Pascaack Valley वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति (धर्मदान देखभाल/शिशु देखभाल/मेडिकेड) (यहाँ आगे, एक साथ, "एफएपी") पात्र रोगियों को HackensackUMC at Pascaack Valley द्वारा प्रदान की जाने वाली आंशिक रूप से या पूरी तरह से छूट वाली आपातकालीन या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद है। वित्तीय सहायता मांगने वाले रोगियों को अवश्य कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहिए, जिसका सारांश यहाँ दिया गया है।

पात्र सेवाएँ— HackensackUMC at Pascaack Valley द्वारा प्रदान की जाने वाली और HackensackUMC at Pascaack Valley द्वारा बिल की जाने वाली आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ। एफएपी केवल HackensackUMC at Pascaack Valley द्वारा बिल की जाने वाली सेवाओं पर लागू होता है। चिकित्सकों या प्रयोगशालाओं जैसी अन्य सेवाएँ जो अन्य प्रदाताओं द्वारा अलग से बिल की जाती हैं, एफएपी के तहत पात्र नहीं हैं।

पात्र रोगी — पात्र सेवाएँ प्राप्त करने वाले रोगी, जो एक पूर्ण वित्तीय सहायता आवेदन (संबंधित दस्तावेज/सूचना सहित) प्रस्तुत करते हैं, और जो HackensackUMC at Pascaack Valley द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्र निर्धारित किए जाते हैं।

मैं कैसे आवेदन दे सकता/सकती हूँ? - एफएपी और संबंधित आवेदन प्रपत्र निम्नानुसार प्राप्त/पूर्ण/प्रस्तुत किया जा सकता है:

मेडिकल सेंटर वेबसाइट पर जानकारी देखें: कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित वेबसाइट पर ऑनलाइन वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी देख सकता है:

<http://www.hackensackumcpv.com/>

आवेदन — आवेदन-पत्र की एक कागज़ी प्रति भरकर कोई भी व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। कागज़ी आवेदन-पत्र निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध है:

डाक के द्वारा: निम्नलिखित पते पर लिखकर और वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र की एक कागज़ी आवेदन का अनुरोध करके:

250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675

व्यक्तिगत रूप से: व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता विभाग जाकर (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10:00 बजे — सायं 6:00 बजे तक), निम्नलिखित पते पर स्थित:

250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675

फोन द्वारा: वित्तीय सहायता विभाग को (201)-383-1043 पर संपर्क किया जा सकता है।

उपलब्ध भाषाएँ — वित्तीय सहायता नीति, आवेदन-पत्र और सादी भाषा में सारांश अंग्रेजी में सीमित प्रवीणता ("एलईपी") वाली किसी भी आबादी की प्राथमिक भाषा में उपलब्ध है जो मेडिकल सेंटर द्वारा सेवा किए जा रहे प्राथमिक सेवा क्षेत्र के भीतर पाँच (5%) प्रतिशत से कम या 1,000 व्यक्तियों से बना है।

पूर्ण किया गया आवेदन-पत्र 250 Old Hook Rd. Westwood, NJ 07675.

वित्तीय सहायता पात्रता का निर्धारण — एक स्लाइडिंग पैमाने का उपयोग करके, आम तौर पर, पात्र व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र होते हैं, जब उनकी पारिवारिक आय संघीय सरकार के संघीय गरीबी दिशानिर्देशों (एफपीजी) के 500% पर या उससे कम होती है। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता इसका अर्थ है कि योग्य व्यक्ति अपनी देखभाल पूरी तरह से या आंशिक रूप से सम्मिलित करवाएँगे, और उन्हें बीमाकृत व्यक्तियों (एजीबी,

जैसा कि आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा आईआरसी धारा 501(आर) में परिभाषित किया गया है) के लिए "आम तौर पर बिल की जाने वाली राशि" (एजीबी) से अधिक बिल नहीं किया जाएगा। यदि आय एफपीजी के 500% तक है तो केवल पारिवारिक आय और एफपीजी के आधार पर वित्तीय सहायता स्तर निर्धारित किए जाते हैं।

नोट — एफपीजी से परे अन्य मानदंडों पर भी विचार किया जाता है (उदाहरण के लिए, नकद या अन्य परिसंपत्तियों की उपलब्धता जिन्हें नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, और मासिक घरेलू व्यय के सापेक्ष अधिशेष मासिक निवल आय), जिसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती के अपवाद हो सकते हैं। यदि पारिवारिक आय की कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो इस बात की जानकारी की आवश्यकता होगी कि दैनिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है। HackensackUMC at Pascaack Valley का वित्तीय सहायता विभाग प्रस्तुत किए गए उन आवेदन-पत्रों की समीक्षा करता है जो पूर्ण होते हैं और हैकेनसैकयूएमसी की वित्तीय सहायता नीति के अनुसार वित्तीय सहायता पात्रता निर्धारित करता है। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन आवेदकों को अधिसूचित किया जाता है और चूके हुए दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाता है।

सहायता, सहारे, या प्रश्नों के लिए, कृपया वित्तीय सहायता विभाग पर व्यक्तिगत रूप से (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10:00 बजे — सायं 6:00 बजे) यहाँ जाएँ या कॉल करें: 250 ओल्ड हुक रोड वेस्टवुड, न्यू जर्सी 07675, (201)-383-1043.